रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2010/ज्येष्ठ 18, 1932
No. 318] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2010/JYAISTHA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 8 जून, 2010

सा.का.नि. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता.—कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिए तभी अर्हित होगा जब उसने भारत सरकार के सचिव या समतुल्य पद धारण किया हुआ हो या जो सचिव के रूप में या समतुल्य रूप में विचारणीय जोन में पैनलित हो और जिसे प्रबंधन, प्रशासन, विधि, वित्त तथा राजमार्ग इंजीनियरी से संबंधित किसी क्षेत्र में व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव हो ।"।

3. मूल नियमों के नियम 4 के उप-नियम (3) के खंड (ii) में उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) वित्त और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक पद धारण किया हो, जिसे, अधिमानतः वित्तीय बाजार और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण का ज्ञान हो ।"।

3. मूल नियमों के नियम 5 में :—

(i) उप-नियम (1) में :—

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखें जाएंगे;

(ख) परन्तुक में, "बासठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पैंसठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा और दो वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी सदस्य बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादानुसार पद धारण करेंगे ।"।

[फा. सं. ए-12025/35/2008-ई-II.(बी)]

प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सं. सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 631(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2006;

(ii) सा.का.नि. 549(अ), तारीख 24 जुलाई, 2009; और

(iii) सा.का.नि. 711(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2009

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2010

G. S. R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the Term of Office and Other Conditions of Service of Members) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the Term of Office and Other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the Term of Office and Other Conditions of Service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Qualification for appointment as Chairman.— A person shall not be qualified for the post of Chairman unless he holds the post of Secretary to the Government of India or equivalent or is empanelled as Secretary or equivalent in the zone of consideration and possesses professional knowledge and experience in any of the areas pertaining to the Management, Administration, Law, Finance and Highway Engineering.".

3. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (3), in clause (ii), for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely : —

"(c) for at least 15 years in the field of Finance and Financial Management, preferably having knowledge of financial market and funding of infrastructure projects.".

4. In the principal rules, in rule 5,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words "sixty-two years", the words "sixty-five years" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) A member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for a further term of two years :

Provided further that no member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-two years.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the Chairman and other Members shall hold office at the pleasure of the Central Government.".

[F. No. A-12025/35/2008-E.II(B)]

PRADIP KUMAR TRIPATHI, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published *vide* number G.S.R. 507(E) dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. 631(E) dated the 12th October, 2006;

(ii) G.S.R. 549(E), dated the 24th July, 2009; and

(iii) G.S.R. 711(E), dated the 30th September, 2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.